क्रम-संख्या-586

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 सितम्बर, 1983

भाद्रपद 30, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2712/सत्रह-वि-1-1(क)-3-1983

लखनऊ, 21 सितम्बर, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 20 सितम्बर, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1983)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916, संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जाएगा।

(2) धारा 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 दिनांक 29 नवम्बर, 1982 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 15, 16 और 17 दिनांक 30 दिसम्बर, 1982 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और धारा 4, 11 और 14 दिनांक 1 अगस्त, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

अध्याय—दो

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 25 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 25 में, उपधारा (1) में, खण्ड (छ) में, शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

धारा 112-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 112-क में,—

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि सेवा में ऐसे आमेलन से सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसे आमेलन के दिनांक के पूर्व किये गये किसी कार्य के संबंध में कोई अनुशासन की कार्यवाही करने या जारी रखने में कोई रुकावट न होगी ।"

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(4) पूर्ववर्ती उपधारा (1), (2) और (3) में या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विहित दिनांक के पूर्व की गयी अस्थायी और तदर्थ नियुक्तियों को, राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना विनियमित करने के लिये भी नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है ।"

धारा 140 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 140 में,—

(क) शब्द "महापालिका निधि में समय-समय पर जमा की जाने वाली धनराशियों का निम्नलिखित अधिमान-क्रम (Order of preference) के अनुसार उपयोग किया जायगा" के स्थान पर शब्द "महापालिका निधि में समय-समय पर जमा की जाने वाली धनराशियों का उपयोग, सर्वप्रथम सफाई मजदूरों के वेतन और भत्तों का भुगतान करने के लिए और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिमान-क्रम में किया जायगा" रख दिये जायेंगे;

(ख) तृतीय अधिमानता के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(घ) सफाई मजदूरों से भिन्न महापालिका के पदाधिकारियों और सेवकों के वेतन और भत्ते, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन महापालिका के समस्त पदाधिकारियों और सेवकों को देय समस्त निवृत्ति-वेतन, उपदान, अंशदान और कारुण्य अधिदेय;"

(ग) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर समझा जायगा जो वह महापालिका की सड़कों, गलियों, रास्तों, नालियों, सीवरों, शौचालयों और मूत्रालयों में झाड़ू लगाने और उनकी सफाई करने, मृत पशुओं और कूड़ा करकट को ढोने के प्रयोजनों के लिए और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए महापालिका द्वारा नियोजित हो ।"

अध्याय—तीन

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 13-घ का संशोधन

5—संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 13-घ में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात्—

"(क) वह किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई पदच्युत सेवक हो और उसके अधीन पुनः सेवायोजन के लिए विवर्जित किया गया हो; या

(कक) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हो और भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, जब तक कि उसकी पदच्युति से छः वर्ष की अवधि समाप्त न हो गयी हो ; या "

धारा 69-बी का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 69-बी में,--

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्--

"परन्तु सेवा में ऐसे आमेलन से सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसे आमेलन के दिनांक के पूर्व किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई अनुशासन की कार्यवाही करने या जारी रखने में कोई रुकावट न होगी।" ; और

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

"(4) पूर्ववर्ती उपधारा (1), (2) और (3) में या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विहित दिनांक के पूर्व की गयी अस्थायी और तदर्थ नियुक्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना विनियमित करने के लिये भी नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है।"

धारा 70 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 70 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(क) अध्यक्ष, ऐसी शक्ति के प्रयोग में,--

(एक) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निदेश का, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर जारी करे,

(दो) बोर्ड के ऐसे किसी आदेश का जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए अस्थायी सेवकों को सेवायोजित करने का प्रतिषेध किया गया हो,

उल्लंघन करते हुए कार्य न करेगा; और"

धारा 74 का प्रतिस्थापन

8--मूल अधिनियम की धारा 74 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

स्थायी वरिष्ठ कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति और पदच्युति

"74--धारा 57 से 73 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अकेन्द्रीयित सेवाओं में जिन पदों का वेतनमान लिपिक कर्मचारीवर्ग को अनुमन्य निम्नतम वेतनमान के बराबर या उससे अधिक हो, उन पर अध्यक्ष द्वारा सेवकों को नियुक्त किया जायगा और उन्हें पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या अन्यथा दंडित किया जा सकता है या परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकती है, किन्तु किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्ति के मामले के सिवाय अन्य मामलों में ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अपील करने का अधिकार होगा :

परन्तु कर अधीक्षक, सहायक कर अधीक्षक, निरीक्षक, प्रधान लिपिक, अनुभागीय प्रधान लिपिक, अनुभागीय लेखाकार, डाक्टर, वैद्य, हकीम और नगरपालिका के अग्निशमन केन्द्राधिकारी के पदों पर नियुक्तियां बोर्ड के अनुमोदन के अधीन होंगी।"

धारा 75 का प्रतिस्थापन

9--मूल अधिनियम की धारा 75 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

स्थायी अवर कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति

"75--जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, कार्यपालक अधिकारी धारा 74 में निर्दिष्ट निम्नतम वेतनमान से न्यून वेतनमान पाने वाले सेवकों को नियुक्त करेगा :

परन्तु कार्यपालक अधिकारी न होने की स्थिति में उक्त नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी।"

धारा 76 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 76 में, शब्द और अंक "बोर्ड के ऐसे सेवकों को जो 50 रु० या नगर में 75 रु० मासिक वेतन से अधिक न पाते हों," के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 75 में निर्दिष्ट बोर्ड के सेवकों" रख दिये जायेंगे।

धारा 120 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 120 में, उपधारा (3) में,--

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्--

"(क) सफाई मजदूरों के वेतन और भत्तों का भुगतान;

(क-1) बोर्ड पर वैध रूप से अधिरोपित या उसके द्वारा स्वीकृत न्यास से उत्पन्न दायित्व और बाध्यतायें,"

(दो) खण्ड (ग) में, शब्द "स्थापना व्यय का भुगतान" के स्थान पर शब्द "खण्ड (क) के अधीन भुगतान को छोड़कर स्थापना व्यय का भुगतान" रख दिये जायेंगे ; और

(तीन) अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर समझा जायगा यदि वह नगरपालिका की सड़कों, गलियों, रास्तों, नालियों, सीवरों, शौचालयों और मूत्रालयों में झाड़ू लगाने और उनकी सफाई करने, मृत पशुओं और कूड़ा करकट ढोने के प्रयोजनों के लिए और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा सेवायोजित हो।"

नई धारा 333-ख का बढ़ाया जाना

12--मूल अधिनियम की धारा 333--क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी और दिनांक 7 जनवरी, 1978 से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात्--

"333--ख--जहां धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये कोई नगरपालिका ऐसी नगरपालिका से (जिसे आगे इस धारा में अविभाजित नगरपालिका कहा गया है) ऐसे स्थानीय क्षेत्र को निकालने के तुरन्त पश्चात् सृजित की जाय, वहां नगरपालिका के सृजन के दिनांक से (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) निम्नलिखित परिणाम होंगे:--

वर्तमान नगरपालिका से किसी क्षेत्र को निकाल कर सृजित नगरपालिका की स्थापना का परिणाम

(क) अविभाजित नगरपालिका के बोर्ड द्वारा उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को अधिरोपित, विहित या उद्गृहीत समस्त कर, फीस, लाइसेन्स, जुर्माने या शास्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नव-सृजित नगरपालिका के बोर्ड द्वारा अधिरोपित, विहित या उद्गृहीत समझा जायगा ;

(ख) नव-सृजित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में अविभाजित नगरपालिका के बोर्ड द्वारा उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को या उसके पूर्व अपनी निधि से उपगत किया गया कोई भी व्यय, नव-सृजित नगरपालिका के बोर्ड द्वारा उसी प्रकार उपगत किया जाता रहेगा मानों वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई व्यय रहा हो ;

(ग) नव-सृजित नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर ऐसी समस्त सम्पत्ति जिसके अन्तर्गत किसी विलेख, संविदा, बन्ध, प्रतिभूति या वाद प्राप्य वस्तु के अधीन कोई अधिकार या फायदा भी है जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को अविभाजित नगरपालिका में निहित थी, नव-सृजित नगरपालिका को अंतरित और उसमें निहित हो जायेंगी और उसके फायदे के लिए प्रवृत्त हो जायेगी ;

(घ) नव-सृजित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसे समस्त दायित्व, चाहे वे संविदा के कारण या अन्य प्रकार से उत्पन्न हुए हों, जो अविभाजित नगरपालिका के बोर्ड के प्रति प्रोद्भूत हुए हों, और उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को बकाया हों, तत्पश्चात् नव-सृजित नगरपालिका के बोर्ड के दायित्व हो जायेंगे ;

(ङ) अविभाजित नगरपालिका की निधि का ऐसा भाग और अविभाजित नगरपालिका के बोर्ड द्वारा उद्गृहीत या वसूल किये गये कर, पथकर, फीस या जुर्माना का व्यय न किये गये आगम का ऐसा भाग जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायगा, नव-सृजित नगरपालिका की नगरपालिका निधि को अन्तरित हो जायगा और उसका भाग बन जायगा ;

(च) अविभाजित नगरपालिका के ऐसे सेवक जिनका स्थानान्तरण विहित प्राधिकारी के परामर्श से नव-सृजित नगरपालिका में किया जाय, नव-सृजित नगरपालिका बोर्ड के सेवक हो जायेंगे मानों उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अध्यधीन रहते हुए, नव-सृजित नगरपालिका के बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया है ;

(छ) नव-सृजित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही जिसके अंतर्गत की गयी कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गयी कोई अधिसूचना, जारी किया गया कोई आदेश या निदेश, बनाया गया कोई नियम, विनियम, प्रपत्र, उपविधि या स्कीम, स्वीकृत किया गया अनुज्ञा-पत्र या लाइसेन्स या किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण भी है, नव-सृजित नगरपालिका के बोर्ड द्वारा किया गया या की गयी समझी जायगी।"

अध्याय--चार

संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1914 की धारा 6-ट का संशोधन

13--संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6-ट में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्--

"(क) वह किसी स्थानीय प्राधिकारी का पदच्युत कर्मचारी हो और उसके अधीन पुनः सेवायोजन से विवर्जित कर दिया गया हो; या

(कक) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किये हो और भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के लिये पदच्युत कर दिया गया हो, जब तक कि उसकी पदच्युति से छः वर्ष की अवधि समाप्त न हो गयी हो, या"

धारा 23 का संशोधन

14--मूल अधिनियम की धारा 23 में,--

(एक) खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्--

"(क) सफाई मजदूरों के वेतन और भत्तों का भुगतान ;

(क-1) किसी ऐसी धनराशि के मूलधन और ब्याज का चुकाना जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऋण के रूप में दिया गया हो ;

(ख) खण्ड (क) के अधीन भुगतान से भिन्न इस अधिनियम के अधीन रखे गये प्रतिष्ठान के वेतन और भत्तों का भुगतान ;"

(दो) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"**स्पष्टीकरण**--इस धारा के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर समझा जायगा यदि वह टाउन एरिया की गलियों, रास्तों, नालियों, शौचालयों और मूत्रालयों में झाड़ू लगाने और उनकी सफाई करने, मृत पशुओं और कूड़ा करकट को ढोने के प्रयोजनों के लिये और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए टाउन एरिया कमेटी द्वारा सेवायोजित हो।"

अध्याय--पांच

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

15--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां-जहां भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1983" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

16--मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1983" रख दिये जायेंगे।

अध्याय--छः

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

17--उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1983" रख दिये जायेंगे।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

निरसन और प्रपवाद

18—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय-दो, तीन, चार, पांच और छः में निर्दिष्ट किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,

सचिव ।

No. 2712-/XVII-V-1- -1(Ka)-3-1983

Dated Lucknow, September 21, 1983

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 20, 1983.

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) ACT, 1983

[U. P. ACT NO. 15 OF 1983]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, *the U. P. Municipalities Act,* 1916, *the U. P. Town Areas Act,* 1914, *the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam,* 1977 *and the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act,* 1978.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :

CHAPTER I—*Preliminary*

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban local Self Government Laws (Amendment) Act, 1983.

(2) Sections 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 shall be deemed to have come into force on November 29, 1982, sections 15, 16 and 17 shall be deemed to have come into force on December 30, 1982, and sections 4, 11 and 14 shall be deemed to have come into force on August 1, 1983.

CHAPTER II—*Amendment of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam,* 1959

Amendment of section 25 of U. P. Act II of 1959.

2. In section 25 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (1), in clause (*g*), *for* the words "five years" the words "six years" shall be *substituted.*

Amendment of section 112-A.

3. In section 112-A of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (2), the following proviso shall be inserted and be deemed always to have been *inserted*, namely :

"Provided that such absorption in the service shall not operate as a bar against holding or continuing to hold any disciplinary proceedings against a member of the service in respect of any act committed before the date of such absorption."

(*b*) *after* sub-section (3) the following sub-section (4) shall be *inserted*, namely :—

"(4) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-sections (1), (2) and (3) or in any other provision of the Act, the State Government may by rules also provide for regularisation of temporary and *ad hoc* appointments, made before the prescribed date, without consultation with the State Public Service Commission."

Amendment of section 140.

4. In section 140 of the principal Act,—

(*a*) *for* the words "The moneys from time to time credited to the Mahapalika Fund shall be applied in the following order of preference" the words "The moneys credited to the Mahapalika Fund from time to time shall, in the first place, be applied for payment of salaries and allowances of Safai Mazdoors and then in the following order of preference" shall be *substituted* ;

(*b*) *for* clause (*d*) of the preference "Thirdly" the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*d*) the salaries and allowances of Mahapalika officers and servants, other than Safai Mazdoors, and all pensions, gratuities, contributions and compassionate allowances payable to all officers and servants of Mahapalika under the provisions of this Act ;"

(*c*) the following Explanation shall be *inserted* at the end, namely :—

"*Explanation*—For the purposes of this section, a person shall be deemed to be a Safai Mazdoor if he is employed by Mahapalika for the purposes of sweeping and cleaning of Mahapalika roads, lanes, pathways, drains, sewers, latrines and urinals, carrying of dead animals and refuge and for other jobs of the like nature."

CHAPTER III—*Amendment of the U. P. Municipalities Act*, 1916

Amendment of section 13-D of U. P. Act II of 1916.

5. In section 13-D of the U. P. Municipalities Act, 1916, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *for* clause (*a*) the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(*a*) is a dismissed servant of a local authority and is debarred from re-employment thereunder ; or

(*aa*) having held any office under the Government of India or the Government of any State has been dismissed for corruption or disloyalty to the State, unless a period of six year has elapsed since his dismissal ; or".

Amendment of section 69-B.

6. In section 69-B of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (2), the following proviso shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"Provided that such absorption in the service shall not operate as a bar against holding or continuing to hold any disciplinary proceedings against a member of the service in respect of any act committed before the date of such absorption" ; and

(*b*) *after* sub-section (3), the following sub-section (4) shall b *inserted*, namely :—

"(4) Notwithstanding anything contained in the preceding sub sections (1), (2) and (3) or any other provision of the Act, the Stat Government may by rules also provide for regularisation o temporary and *ad hoc* appointments, made before the prescribed date, without consultation with the State Public Service Commission."

Amendment of section 70.

7. In section 70 of the principal Act, *for* clause (*a*) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*a*) the President, in exercise of such powers, shall not act in contravention of—

(i) any general or special directions as the State Government may from time to time issue,

(ii) an order of the Board prohibiting the employment of temporary servants for any particular work, and".

Substitution of section 74.

8. *For* section 74 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Appointment and dismissal of permanent superior staff.

"74. Subject to the provisions of sections 57 to 73, servants on posts in the non-centralised services, carrying scale of pay equal to or higher than the lowest scale of pay admissible to the clerical staff, shall be appointed and may be dismissed, removed or otherwise punished, or the services of a probationer may be terminated, by the President, subject to the right of appeal, except in the case of the termination of the service of a probationer, to such authority, within such time and in such manner as may be prescribed :

Provided that appointments on the posts of Tax-Superintendent, Assistant Tax Superintendents, Inspectors, Head Clerks, Sectional Head Clerks, Sectional Accountants, Doctors, Vaids, Hakim and Municipal Fire Station Officers, shall be subject to the approval of the Board."

Substitution of section 75.

9. *For* section 75 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Appointment of permanent inferior staff.

"75. Except as otherwise provided, the Executive Officer shall appoint servants carrying scales of pay lower than the lowest scale of pay referred to in section 74 :

Provided that in case there is no Executive Officer, the said appointments shall be made by the President."

Amendment of section 76.

10. In section 76 of the principal Act, *for* the words and figures "on or drawing a monthly salary not exceeding Rs.50 or in a city Rs.75" the words and figure "referred to in section 75", shall be *substituted*.

Amendment of sectio 120.

11. In section 120 of the principal Act, in sub-section (3),—

(i) *for* clause (*a*), the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(*a*) the payment of salaries and allowances of Safai Mazdoors ;

(*a*-1) the liabilities and obligations arising from a trust legally imposed upon or accepted by the Board ;"

(ii) in clause (*c*), *for* the words "the payment of establishment charges" the words "except the payments under clause (*a*), the payment of establishment charges," shall be *substituted* ; and

(iii) the following Explanation shall be *inserted* at the end, namely :—

"*Explanation*—For the purposes of this sub-section, a person shall be deemed to be a Safai Mazdoor if he is employed by the Board for the purposes of sweeping and cleaning of Municipal roads, lanes, pathways, drains, sewers, latrines and urinals, carrying of dead animals and refuge and for other jobs of the like nature."

Insertion of new section 333-B.

12. *After* section 333-A of the principal Act, the following section shall be inserted and be deemed to have been *inserted* on January 7, 1978, namely:—

Consequences of establishment of a municipality created by excluding an area from an existing municipality.

"333-B. Where under sub-section (1) of section 3, a Municipality for a local area is created immediately after excluding such local area from a municipality (hereinafter in this section referred to as the undivided municipality) the following consequences shall follow as from the date of creation (hereinafter in this section referred to as the said date) of the municipality :—

(*a*) all taxes, fees, licences, fines or penalties imposed, prescribed or levied, on the date immediately preceding the said date, by the board of the undivided Municipality be deemed to have been imposed, prescribed or levied by the board of the newly created municipality under the provisions of this Act ;

(*b*) any expenditure in respect of the area included in the newly created municipality, incurred by the board of the undivided municipality on or before the date immediately preceding the said date from its funds, shall continue to be so incurred by the board of the newly created municipality as if it was an expenditure authorised by or under this Act ;

(*c*) all properties within the area of the newly created municipality, including the rights or benefits subsisting under any deed, contract, bond, security or choses-in-action vested in the undivided municipality on the date immediately preceding the said date, shall be transferred to and vested in and ensue for the benefit of the newly created Municipality ;

(*d*) all liabilities in respect of the area included in the newly created municipality, whether arising out of contract or otherwise, which have accrued against the board of the undivided municipality and are outstanding on the date immediately preceding the said date shall thereafter be the liabilities of the board of the newly created municipality ;

(*e*) such part of the fund of the undivided municipality and the proceeds of any unexpended taxes, tolls, fees or fines, levied or realized by the board of the undivided Municipality, as may be decided by the State Government, shall be transferred to and form part of the municipal fund of the newly created municipality ;

(*f*) such of the servants of the undivided municipality as are transferred to the newly created municipality in consultation with the prescribed authority, shall become servants of the board of the newly created municipality as if they had been appointed by the board of the newly created Municipality under, and subject to, the provisions of this Act ;

(*g*) anything done or any action taken, including any appointment or delegation made, notification, order or direction issued, rule, regulation, form, bye-law or scheme framed, permit or licence granted or registration affected under the provisions of this Act in relation to or in respect of the area included in the newly created municipality, shall be deemed to have been done or taken by the board of the newly created municipality."

CHAPTER IV—*Amendment of the U. P. Town Areas Act*, 1914

Amendment of section 6-K of U. P. Act II of 1914.

13. In section 6-K of the U. P. Town Areas Act, 1914, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *for* clause (*a*) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*a*) is a dismissed servant of a local authority and is debarred from re-employment thereunder, or

(*aa*) having held any office under the Government of India or th Government of any State, has been dismissed for corruption or disloyalt to the State, unless a period of six years has elapsed since his dismissal or"

Amendment of section 23

14. In section 23 of the principal Act,—

(i) *for* clauses (*a*) and (*b*), the following clauses shall be *substituted* namely :—

"(*a*) the payment of the salaries and allowances of Safai Mazdoors;

(*a*-1) the repayment of the principal and interest of any sum advanced as a loan by the State Government for the purposes of this Act;

(*b*) the payment of salaries and allowances, other than the payments under clause (*a*), of the establishment entertained under this Act;"

(ii) the following Explanation shall be *inserted* at the end, namely :—

"*Explanation*—For the purposes of this section, a person shall be deemed to be a Safai Mazdoor if he is employed by the Town Area Committee for the purposes of sweeping and cleaning of Town Area lanes, pathways, drains, latrines and urinals, carrying of dead animals and refuge and for other jobs of the like nature."

CHAPTER V—*Amendment of the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam,* 1977

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 13 of 1977.

15. In section 2 of the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977 hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *for* the word and figures "December 31, 1982", wherever occurring, the word and figures "December 31, 1983" shall be *substituted*.

Amendment of section 3.

16. In section 3 of the principal Act, *for* the word and figures "December 31, 1982" the word and figures "December 31, 1983" shall be *substituted*.

CHAPTER VI—*Amendment of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act,* 1978

Amendment of section 24 of U.P. Act no. 35 of 1978.

17. In section 24 of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978, *for* the word and figures "December 31, 1982", the word and figures "December 31, 1983" shall be *substituted*.

CHAPTER VII—*Miscellaneous*

Repeal and savings.

18. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) (Second) Ordinance, 1983 is hereby repealed. U. na 18

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the Acts referred to in Chapters II, III, IV, V and VI as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of those Acts as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

G. B. SINGH,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 229 सा० (विधा०)-(2279)-1983-1951-700 (मेक०)।